राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या–33/2015/बीकानेर
(अपील संख्या 2184/2008/बीकानेर निर्णय दिनांक 19.03.2013)

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स,
बीकानेर। ...अपीलार्थी

बनाम

मै. चिरंजीलाल गुप्ता एण्ड सन्स (प्रा.) लिमिटेड,
रानी बाजार, बीकानेर। ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उपराजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी अप्रार्थी की ओर से

श्री सुरेश ओझा
अभिभाषक ...प्रत्यर्थी प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02.04.2018

निर्णय

1. यह रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की सम्माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2184/2008 में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2013 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2. विचाराधीन प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी एक ठेकेदार है, जिसे वर्ष 2005–06 में अवार्डर अधिशाषी अभियंता (For & on behalf of the President of India) Border Fencing Division 2 C.P.W.D. बीकानेर द्वारा कार्यादेश दिनांक 20.03.05 द्वारा Strengthening/Replacement of damaged fencing and providing cement concrete pavement between BP No. 312/3 to 323/3 (SH: Fom EFL No. 617 to 697 under Bikaner Section Rajasthan) की कार्य संविदा निष्पादन हेतु आवंटित की गई थी। प्रत्यर्थी ने इस कार्य संविदा निष्पादन में अवार्डर द्वारा स्वतः करमुक्ति अण्डरटेकिंग (Automatic E.C.) पर 1.5 प्रतिशत से स्त्रोत पर कटौती कर जमा कराया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि प्रश्नगत कार्य संविदा राज्य सरकार की अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 के तहत 1.5 प्रतिशत की ई.सी. शुल्क में कवर नहीं होकर 3 प्रतिशत में आती है। अतः कुल भुगतान रू 1,75,99,021/– पर 3 प्रतिशत से कर मुक्ति शुल्क रू 5,27,971/– तथा ब्याज रू 76,233/– आरोपित कर टी.डी.एस रू 2,63,985/– समायोजित करते हुए मांग रू 3,40,209/– सृजित की। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी

लगातार.....2

द्वारा स्वीकार की जाकर अतिरिक्त आरोपण रू 2,63,986/– व ब्याज को अपास्त किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर राजस्व द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई जो एकपक्षीय निर्णय दिनांक 19.03.2013 द्वारा स्वीकार हुई तथा कर बोर्ड द्वारा यह ठहराया गया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा निष्पादित कार्य संविदा पर 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत ई.सी. फीस देय हैं जिसमे रेस्पोन्डेन्ट प्रार्थी द्वारा यह संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट की ओर से कथन किया गया कि माननीय कर बोर्ड द्वारा निर्णय पारित करते समय प्रार्थी द्वारा प्रेषित पेपर बुक जो स्पीड पोस्ट दिनांक 24.12.2009 जिस पर आर्टिकल न. ई.आर.716997486आई.एन. अंकित था भेजी गई थी जिसमें विस्तृत बहस लिखी हुई थी, पर विचार नहीं किया गया है। प्रार्थी का प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा पारित निर्णय सीटीओ वर्क्स एण्ड लीजिंग टेक्स, प्रथम, जयपुर बनाम मै. पेनार इण्डस्ट्रीज लि. में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2004 (Tax Update Vol. 8 Part I Page 31) से पूर्णतया आच्छादित है जिसके आधार पर राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य थी। निर्णय दिनांक 19.09.2013 में यह कथन अलग है कि प्रार्थी द्वारा निष्पादित किया गया कार्य रोड़ से संबंधित नहीं हैं। इन्होंने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया हैं। पत्रावली पर कोई पेपर बुक उपलब्ध नहीं हैं। सम्माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु अनुरोध किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. प्रार्थी का संशोधन प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह है कि माननीय कर बोर्ड द्वारा निर्णय पारित करते समय प्रार्थी द्वारा प्रेषित पेपर बुक जो स्पीड पोस्ट दिनांक 24.12.2009 जिस पर आर्टिकल न. ई.आर.716997486आई.एन. अंकित था भेजी गई थी जिसमें विस्तृत बहस लिखी हुई थी, पर विचार नहीं किया गया है। प्रार्थी का प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा पारित निर्णय सीटीओ वर्क्स एण्ड लीजिंग टेक्स, प्रथम, जयपुर बनाम मै. पेनार इण्डस्ट्रीज लि. में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2004 (Tax Update Vol. 8 Part I Page 31) से पूर्णतया आच्छादित है जिसके आधार पर राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य थी। निर्णय दिनांक 19.09.2013 में यह कथन गलत है कि प्रार्थी द्वारा निष्पादित किया गया कार्य रोड़ से संबंधित नहीं हैं।

लगातार.....3

8. विचाराधीन प्रकरण से संबंधित अपील पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बहस के समय व्यवसायी रेस्पोन्डेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ हैं। निर्णय दिनांक 19.09.2013 के अनुसार भी व्यवसायी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होना अंकित किया गया हैं। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रेषित कोई पेपर बुक उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि उसके द्वारा प्रेषित पेपर बुक पर विचार नहीं किया गया है। प्रार्थी के इस कथन पर अब विचार नहीं किया जा सकता कि उसका प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा पारित निर्णय सीटीओ वर्क्स एण्ड लीजिंग टेक्स, प्रथम, जयपुर बनाम मै. पेनार इण्डस्ट्रीज लि. में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2004 (Tax Update Vol. 8 Part I Page 31) से पूर्णतया आच्छादित है जिसके आधार पर राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य थी क्योंकि पूर्व में पारित किसी निर्णय के दृष्टांत के आधार पर संशोधन के माध्यम से पुर्नविचार नहीं किया जा सकता।

9. उक्त तथ्यों के उपरांत भी न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सीटीओ वर्क्स एण्ड लीजिंग टेक्स, प्रथम, जयपुर बनाम मै. पेनार इण्डस्ट्रीज लि. में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2004 (Tax Update Vol. 8 Part I Page 31) पर विचार किया गया। इस न्यायिक दृष्टांत में व्यवसायी द्वारा W-Profile सेफ्टी स्टील ब्रेकर, W-Profile सेफ्टी वेरियर नेशनल हाईवे पर लगाये गये थे जिन्हें कर बोर्ड की एकलपीठ ने रोड़ से संबंधित कार्य माना है जबकि इस प्रकरण में प्रार्थी की कार्य संविदा Strengthening/Replacement of damaged fencing and providing cement concrete pavement between BP No. 312/3 to 323/3 (SH: Fom EFL No. 617 to 697 under Bikaner Section Rajasthan) थी अर्थात् प्रार्थी की कार्य संविदा रोड से संबंधित न होकर मूल रूप से बोर्डर पर फेन्सिंग का कार्य किये जाने की थी जिसके साथ सीमेन्ट की पेवमेंट भी बनाई गई थी, इस तरह मूल कार्य फेन्सिंग के साथ पेवमेंट का मिश्रित कार्य था जो अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 के क्रमांक संख्या 1 से आच्छादित नहीं था क्योंकि बिन्दू सं. 1 में रोड से संबंधित कार्य ही अंकित है एवं उक्त न्यायिक दृष्टांत पेनार इण्ड. में मूल कार्य रोड़ का था एवं रोड के लिए अन्य कार्य किये गये थे जिससे प्रार्थी व्यवसायी को इस न्यायिक दृष्टांत से कोई सहायता नहीं मिलती हैं। अतः माननीय खण्डपीठ द्वारा पूर्ण विचार कर जो निर्णय पारित किया गया है उसमें संशोधन का कोई विधिक आधार नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता हैं।

11. निर्णय सुनाया गया।

के.एल.जैन
(सदस्य)

(नत्थूराम)
(सदस्य)